पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2012

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2012 हाल ही में संपन्न हुए संसद के सत्र में पारित किया गया था। विधेयक में पथ विक्रेताओं की जीविका के अधिकारों के संरक्षण, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, देश के शहरों में रेहड़ी–पटरी पर सामान बेचने के विनियिमन और अन्य सम्बद्ध मामलों का प्रावधान है। विधेयक का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडरों के लिए अनुकूल माहौल पैदा करना है ताकि वे गरिमापूर्वक अपना कार्य कर सकें। प्रस्तावित कानून से करीब एक करोड़ परिवारों को आजीविका संरक्षण प्रदान करने में मदद मिलने की संभावना है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में रेहड़ी–पटरी विक्रय गतिविधियों को अपना व्यवसाय बनाने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के पंजीकरण, उसे विक्रेता प्रमाणपत्र जारी करने और स्ट्रीट वेंडर का पहचानपत्र प्रदान करने, उन्हें कुछ अधिकार देने, दायित्व सौंपने और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत नगर विक्रय समिति की स्थापना करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

विधेयक के अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं :–

i) विधेयक में सभी वर्तमान स्ट्रीट वेंडरों के सर्वेक्षण और प्रत्येक पांच वर्ष में पुनः सर्वेक्षण की व्यवस्था है, और यह प्रावधान है कि सर्वेक्षण पूरा होने तक किसी भी रेहड़ी पटरी–विक्रेता को हटाया या पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा और सभी स्ट्रीट वेंडरों को सामान बेचने का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार स्ट्रीट वेंडरों को तंग किए जाने के प्रति संरक्षण प्रदान करने और उनकी जीविका को बढ़ावा देने के सार्वभौम उपाय किए जाएंगे।

ii) सर्वेक्षण में पहचान किए गए सभी वर्तमान स्ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग क्षेत्र में जगह दी जाएगी परंतु, शर्त यह है कि वार्ड या शहर क्षेत्र का 2.5 प्रतिशत वेंडिंग जोन रखा जाएगा।

iii) टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) में अधिकारियों, गैर–अधिकारियों, महिला वेंडर सहित वेंडरों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और अशक्त लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विधेयक में व्यवस्था है कि टीवीसी के 40 प्रतिशत सदस्य चुनाव के जरिए स्ट्रीट वेंडरों में से ही होंगे, जिनमें एक तिहाई महिलाएं होंगी।

iv) जहां कहीं पहचान किए गए स्ट्रीट वेंडरों की संख्या वेंडिंग जोन की क्षमता से अधिक होगी, वहां टीवीसी लाटरी निकाल कर उस वेंडिंग जोन के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगी। शेष बचे लोगों को पड़ोस के वेंडिंग जोन में समायोजित किया जाएगा ताकि किसी को भी विस्थापित न हो।

v) जिन स्ट्रीट वेंडरों को इस अधिनियम के लागू होने से पहले स्ट्रीट वेंडिंग प्रमाणपत्र/लाइसेंस आदि जारी किया गया हो, उन्हें सम्बद्ध श्रेणी के लिए उतनी अवधि हेतु स्ट्रीट वेंडर समझा जाएगा, जितनी अवधि के लिए वेंडिंग प्रमाणपत्र/लाइसेंस जारी किया गया हो।

vi) यदि किसी रेहड़ी–पटरी और खोमचे वाले को प्रमाणपत्र जारी किया गया है और उसका निधन हो जाता है या वह स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्य यानी उसकी पत्नी या निर्भर संतान को रेहड़ी–पटरी और खोमचे चलाने का अधिकार होगा। यह अधिकार तब तक होगा जब तक प्रमाणपत्र की वैधता है।

vii) विधेयक में प्रावधान है कि स्ट्रीट वेंडरों को पुनर्स्थापित करने का विकल्प अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाएगा। तदनुरूप 'पुनर्स्थापन' के लिए निम्नांकित सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं – (क) विस्थापन जहां तक संभव हो टाला जाना चाहिए, विस्थापन की नौबत तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक कि विवादित भूमि की स्पष्ट और तात्कालिक आवश्यकता न हो। (ख) पुनर्वास परियोजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में प्रभावित वेंडरों या उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। (ग) प्रभावित वेंडरों को पुनः स्थापित इस तरह किया जाएगा, जिससे उनकी जीविका और जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके अथवा वास्तविक अर्थों में उन्हें विस्थापन से पहले की स्थिति में लाया जा सके। (घ) जिस बाजार में रेहडी–पटरी वाले 50 वर्ष या उससे अधिक समय से अपना कारोबार कर रहे हैं? उस बाजार को विरासत बाजार घोषित किया जाएगा। ऐसे बाजारों के रेहड़ी–पटरी वालों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

viii) विधेयक में ''प्राकृतिक बाजार'' पर बल दिया गया है। इसे विधेयक में परिभाषित भी किया गया है। इसके अनुसार जहां कहीं विक्रेता और खरीददार एक निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय से परंपरागत रूप में विशेष उत्पादों या सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए एकत्र होते हैं, और उस स्थान को स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस रूप में निर्धारित किया गया हो, उसे प्राकृतिक बाजार समझा जाएगा। विधेयक में प्रावधान है कि पूरी योजना इस बात को सुनिश्चित करे कि स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह या क्षेत्र की व्यवस्था उचित हो, और प्राकृतिक बाजार के स्वभाव के अनुरूप हो।

ix) यह विधेयक जब्त की गई खराब होने वाली और खराब न होने वाली वस्तुओं को छुड़ाने के लिए निश्चित अवधि निर्धारित करता है। खराब न होने वाली वस्तुओं के मामले में स्थानीय अधिकारियों को दो कामकाजी दिनों में माल को छोड़ना होगा और खराब होने वाली चीजों के मामले में माल को उसी दिन छोड़ना होगा जिस दिन दावा किया गया है।

विधेयक में कहा गया है कि सरकार द्वारा रेहड़ी–पटरी वालों के लिए प्रोत्साहन उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इन उपायों में ऋण उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा और अन्य कल्याण कार्यक्रम लागू करना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, स्ट्रीट वेंडरों के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना आदि शामिल हैं। विधेयक में स्ट्रीट वेंडरों की शिकायतें दूर करने के लिए किसी सब–जज या न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट और प्राकृतिक बाजार एवं स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों में अनुभव रखने वाले अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र विवाद निवारण तंत्र की स्थापना का प्रावधान है। विधेयक में समुचित सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह कानून के प्रावधानों पर अमल के लिए नियम बनाए।